न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 43 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 71

प्रार्थीगण

1.मिश्रीमल पुत्र मीठालाल

2.भंवरीदेवी पत्नि मीठालाल

जाति कुम्हार (प्रजापति)

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.पोकरराम पुत्र गुमानजी के वारिसान

1 / 1.चम्पाराम पुत्र पोकरराम

1 / 2.किशनलाल पुत्र पोकरराम

1 / 3.धूडाराम पुत्र पोकरराम

1 / 4.मंगलीदेवी पत्नि पोकरराम

जाति भील निवासी मूंगडा

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

2.गजेन्द्र सांखला पुत्र श्यामलाल

जाति खटीक निवासी परिहार सेवा सदन के सामने,खेतेश्वर भवन के पास वाली गली, बालोतरा व जिला पचपदरा

3.खेतसिंह पुत्र पुरखसिंह जाति राजपूत

निवासी थानाणियों की ढाणी, नाकोडा,

तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा

4.गोपाल पुत्र केशाराम

जाति माली, C/O पदमहंस ग्रेनाईट, बाई पास पुलिया से आगे,समदड़ी रोड़,बालोतरा

5.दलाराम पुत्र दुर्गाजी जाति भील

निवासी मूंगड़ा तहसील पचपदरा

6.मपाराम पुत्र दुर्गाजी

7.लालाराम पुत्र दुर्गाजी

8.मोकी पत्नि दुर्गाजी जाति भील

[illegible] मूंगडा व तहसील पचपदरा

9.[illegible] जाति भील

[illegible] भील बस्ती, कोजी किड्स [illegible]

[illegible]मने,जीरो रेल्वे फाटक,बालोतरा

10.ललिता मीना पुत्र मुफतलाल मीना,

जाति मीणा निवासी सलीमपुर खुर्द

जिला भरतपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar

Date: 2024.09.26 20:29:10 IST

Reason: SelfAttested

11.देवीया पुत्र बगा
जाति भील निवासी रामसीन
12.हवलीदेवी पत्नि देवीया
जाति भील निवासी रामसीन
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
13. कानाराम पुत्र उकाराम जाति भील
निवासी भील बस्ती,कोजी किडस स्कूल
के सामने,जीरो रेल्वे फाटक,बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
14.भैराराम पुत्र अमराराम
जाति भील निवासी नाकोड़ा रोड़ जसोल
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
15.रमेशकुमार पुत्र जेसाराम
जाति भील निवासी मूंगडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16.अधिशाषी अधिकारी,सार्वजनिक निर्माण
विभाग (P.W.D.) पचपदरा रोड़ बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 13 से 15
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 12 व 16 एवं 17 एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 20.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:10 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि [illegible]गण [illegible] खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा [illegible] क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3.7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अंत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1538/771 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3.7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री रोहित सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया था। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा विप्रार्थी संख्या 13 से 15 की ओर से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 12 एवं विप्रार्थी संख्या 16 व 17 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किए जाने के बाद उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 13 से 15 अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1538/771 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3. 7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1538/771 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3.7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किए जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब में कथन किया कि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं की गई है। विप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर सेढा पड़ौसी बाबुखां व पोकरराम द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है जो कि विप्रार्थी की ओर से नेखमबंदी करवानें से पता चला। विप्रार्थी की खातेदारी भूमि पर कर रखा अवैध कब्जा हटवाया जाकर विप्रार्थी की खातेदारी भूमि का रकबा पूरा कर सीमाज्ञान कर नेखम कायम कर पत्थगढी की जाकर तत्पश्चात प्रार्थीगण भूमि की नेखमबंदी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 13 से 15 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर पेश कर रखा है,जो निरस्त योग्य है,क्योंकि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1549/771 व 1540/771 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अशुद्ध तरमीम को दुरुस्त करने बाबत तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध पेश कर रखा है,जो विचाराधीन चल रहा है। तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण विचाराधीन रहते प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी नही हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा समस्त सेढा पड़ौसियों को पक्षकार नही बनाया है,इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही एकपक्षीय करवाए है,जिसकी विप्रार्थी को कोई जानकारी नही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1538/771 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3.7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.1.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम दुरुस्ती प्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध विचाराधीन होने के कारण हस्तगत प्रकरण में नेखमबंदी आदेश नहीं हो सकता, तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तरमीम दुरुस्ती का प्रकरण स्वीकार होना अथवा अस्वीकार होना,भविष्य की बात है,उक्त प्रकरण पेश करने मात्र से रिकॉर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम कार्यवाही करने से वंचित नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1538/771 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टेयर,खसरा संख्या 1536/771 क्षेत्रफल 3.7636 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1539/771 क्षेत्रफल 1.9020 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिए सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:29:10 IST
Reason: SelfAttested